## अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-25/2023- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

## कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उप वार्डन के पद पर पदोन्नति। Subject:-Promotion to the post of Deputy Warden at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 30.07.2024 को उप वार्डन के पद हेतु विभागीय पदोन्नित संमिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत निम्निलिखित सहायक वार्डन को पदभार ग्रहण करने की तिथि से उप वार्डन वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -5 पर पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Deputy Warden held on 30.07.2024 and its acceptance by the Competent Authority, the following **Assistant Warden** is promoted to the post of **Deputy Warden** in **Level-5 of the pay matrix** from the date she assumes the charge of the post of **Deputy Warden** 

Sr. No.	Name of Employee	Category	Considered against the category	Department
01	श्रीमती तृप्ता शर्मा Ms. Tripta Sharma	UR	UR	होस्टल विभाग Hostel Section

इनकी वरिष्ठता **उप वार्डन** के पद पर विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात 30.07.2024 से प्रभावी होगी।

Her seniority in the post of **Deputy Warden** will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 30.07.2024

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई. झज्जर,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भतों के हकदार होंगे।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad/NCI, Jhajjar and Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हें आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वितीय उन्निति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1), if applicable, either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Cont. on -2-

इनकी सेवा वर्तमान में बल्लभगढ़ (हरियाणा) में स्थित ग्रामीण परियोजना, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र (गाजियाबाद), एन.सी.आई, बाढसा, झज्जर तथा संस्थान द्वारा भविष्य में खोले जाने वाले किसी अन्य केंद्र में स्थानांतरणीय हैं। उन्हें शिफ्ट में सेवा देने के लिए भी कहा जा सकता हैं।

Her service is transferable to the other centre facilities presently located at Ballabhgarh (Haryana), National drugs Dependency Treatment Centre (Ghaziabad), National Cancer Institute, Badsa, Jhajjar and at any other centre/facilities which may come up in future. She can be asked to perform duties in shifts also.

यह कार्यालय आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP संख्या 30621/2011 और अन्य जुड़े मामलो के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

This Office order would be subject to outcome of the SLP No. 30621/2011 and other connecting matter pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

(विश्वेश चतुवेर्दी / VISHWESH CHATURVEDI) प्रशासनिक अधिकारी / ADMINISTRATIVE OFFICER

श्रीमती तृप्ता शर्मा/Ms. Tripta Sharma, सहायक वार्डन, होस्टल विभाग/ Assistant Warden, Hostel Section द्वारा/Thr.:- प्रो. ईन्चार्ज, होस्टल विभाग Prof- In-charge, Hostel Section प्रतिलिपिः

- 1 प्रो. ईन्चार्ज, होस्टल विभाग/ The Prof. In-charge, Deptt. of Hostel
- 2 सीनीयर वार्डन, होस्टल विभाग /Senior Warden, Hostel/सीनीयर वार्डन, होस्टल विभाग
- 3 प्रशासनिक अधिकारी- -Administrative Officer- D.O.
- 4 स्थापना अनुभाग - Establishment Section D.O.
- 5 लेखा विभाग/ Accounts Section, II/III
- 6 ए.सी.आर सेल/ एस.सी./एस.टी विभाग / सतर्कता विभाग ACR Cell/ SC/ST Cell/Vigilance Cell
- 7 प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें। Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website